**फर्द अहकाम**

**अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,**
**किशनगढ अजमेर (राज0)**

सेजा वगैरह बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरह
दीवानी विविध संख्या 22/23

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.01.2025 | श्री अजय सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित। श्री गोविन्द दास पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को कभी भी असालतन तामिल नहीं हुई। उसकी पत्नी ने उसे न्यायालय के नोटिस की जानकारी नहीं दी। न्यायालय में अंडरटेकिंग किए जाने की दिनांक 20.11.2023 को भी प्रार्थी को यह जानकारी नहीं थी कि उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में ही अमल में लाई जा चुकी है। न्यायालय के रीडर द्वारा जानकारी दिये जाने पर उसने अविलंब ही यह हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति का न्यायसंगत कारण प्रार्थी द्वारा दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.03.2023 को अपास्त किया जावे।<br><br>इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी पर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की विधिवत तामिल हुई थी। उसकी पत्नी ने उसे इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की जानकारी दे थी। प्रार्थी जानबुझकर प्रकरण को विलंबित करने के आशय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र भी देरी से प्रस्तुत किया है एवं इस देरी को क्षमा किए जाने हेतु भी परिसीमा अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।<br><br>हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद मुकेश कुमावत को जारी किए गए नोटिस पर अंकित तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस नोटिस की ता. मिल प्रार्थी मुकेश कुमावत की पत्नी रेखा पर हुई है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 मुकेश कुमावत इसी पते पर निवास करता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा | |

| | | |
|---|---|---|
| | सकता कि प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की जानकारी नहीं दी हो। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.03.2023 को अमल में लाई गई है एवं उसके पश्चात् प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2024 को अर्थात लगभग 1 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया है। इस देरी को क्षमा किए जाने हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 28.03.2023 को अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 मुकेश कुमावत को आगामी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा।<br>आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक को पेश हो।<br><br>(संदीप आनन्द) | |